न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 132/2022/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 7.6.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

चन्द्र प्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति धाकड निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा। (राज0)

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दीपक कुमार साहू अभिभाषक–अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पोडेन्ट

::निर्णय::

दिनांक 6.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 36/2014 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बउनवान चन्द्र प्रकाश बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल मे पारित निर्णय दिनांक 10.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 के अन्तर्गत न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा तह0 मांगरोल मे उसके खाते की भूमि साबिक खसरा नम्बर कुल किता 11 रकबा रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी मे से साबिक खसरा नम्बर 123 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा के सेटलमेंट बाद नये खसरा नम्बर 132 रकबा 2.88 है0 दर्ज किये गये लेकिन सेटलमेंट कार्मिको द्वारा नये ख0 नं0 परिवर्तन करते हुये साबिक खसरा नम्बर 123 का राजस्व नक्शे से हाल नजरी नक्शा बनाते समय मौके व कब्जे काश्त की साबिक नक्शे के अनुसार दर्ज नही कर हाल खसरा नम्बर 132 का नक्शा रेकार्ड मे छोटा कर दिया गया। नजरी नक्शा रकबे के अनुसार नही होने से अपीलांट की भूमि ख0 नं0 132 के नक्शे मे भौगोलिक व वास्तविक रकबे मे कमी की है। जबकि रकबे मे कोई कमी नही है। मात्र नजरी नक्शा छोटा होने से नक्शे अनुसार रकबा कम होता है। जिसको दुरूस्त कराने का वह अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही होना अंकित करते हुये राजस्व लोक अदालत आपके द्वार कोर्ट केम्प किशनपुरा मे दिनांक 10.5.2018 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व तथ्यों के विपरीत है। हाल खसरा नम्बर 132 का रिकार्ड अनुसार नक्शे का माप रकबा अनुसार दर्ज नही है और वर्तमान ख0 नं0 132 पुराने नक्शे व रकबे अनुसार छोटा है। रेस्पो0 द्वारा भी जवाब मे उक्त

अति. सं. आयुक्त
कोटा

स्वीकारोक्ति की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्वीकृत तथ्यो को साबित करने की आवश्यकता नही होती है। इसके बावजूद भी पत्रावली पर मौजूद महत्वपूर्ण तथ्यो को अनदेखा कर नक्शे को दुरूस्त नही करने का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 10.5.2018 निरस्त किया जावे। तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि रेस्पो0 की स्वीकारोक्ति के अनुसार वर्तमान ख0 नं0 132 के नक्शे को पुराने ख0 नं0 123 के नक्शे अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे अपील के तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रकट किया कि सेटलमेट विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 123 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 132 रकबा 2.88 है0 दर्ज किया गया है। किन्तु साबिक खसरा 123 के नक्शे अनुसार नये खसरा नम्बर 132 का नक्शा छोटा दर्ज किया गया जो रकबे अनुसार नही है। जबकि मौके पर रकबे अनुसार अपीलांट काबिज है उक्त तथ्यों को रेस्पो0 ने भी अपने जवाब मे स्वीकार किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट पुराने नक्शे अनुसार वर्तमान दर्ज किये नक्शे को दुरूस्त कराने का विधिक तौर पर अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद स्वीकारोक्ति तथ्यों को नजरअदांज कर जेरअपील आदेश पारित करने मे विधिक त्रुटि की है अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त कर पूर्व नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शे को दुरूस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 रेस्पो0 की ओर से पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र एंव शपथ मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षम्य किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर विचार कर अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम किशनपुरा तह0 मांगरोल मे उसके खाते की भूमि साबिक खसरा नम्बर कुल किता 11 रकबा रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी मे से साबिक खसरा नम्बर 123 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा के सेटलमेंट बाद नये खसरा नम्बर 132 रकबा 2.88 है0 दर्ज किये गये लेकिन सेटलमेंट कार्मिको द्वारा नये ख0 नं0 परिवर्तन करते हुये साबिक खसरा नम्बर 123 का राजस्व नक्शे से हाल नजरी नक्शा बनाते समय मौके व कब्जे काश्त की साबिक नक्शे के अनुसार दर्ज नही कर हाल खसरा नम्बर 132 का नक्शा रेकार्ड मे छोटा कर दिया गया। नजरी नक्शा रकबे के अनुसार नही होने से अपीलांट की भूमि ख0 नं0 132 के नक्शे मे भौगोलिक व वास्तविक रकबे मे कमी की है। जबकि रकबे मे कोई कमी नही है। मात्र नजरी नक्शा छोटा होने से नक्शे अनुसार रकबा कम होता है। जिसको दुरूस्त कराने का वह अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही होना अंकित करते हुये राजस्व लोक अदालत आपके द्वार कोर्ट केम्प किशनपुरा मे दिनांक 10.5.2018 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया। प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि रेस्पो0 ने भी उक्त तथ्यों को अपने जवाब मे स्वीकार किया है ऐसी स्थिति मे विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्वीकृत तथ्यो को साबित करने की आवश्यकता नही

अति. सं. आयुक्त
कोटा

होती है। अपीलांट पुराने नक्शे अनुसार वर्तमान दर्ज किये नक्शे को दुरूस्त कराने का विधिक तौर पर अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद स्वीकारोक्ति तथ्यों को नजरअदांज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10.3.2018 से पुराने ख0 नं0 123 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा का पुराना नक्शा व नया ख0नं0 132 रकबा 2.88 है0 का मिलान करने पर हाल ख0नं0 132 का रिकार्ड अनुसार नक्शे का माप रकबे के अनुसार छोटा होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त ख0नं0 का सेटलमेंट बाद दर्ज किया गया नजरी नक्शा गत नक्शे अनुसार नही होने की पुष्टि होती है तथा अपीलांट सेटलमेट विभाग द्वारा की गई उक्त स्वीकारात्मक त्रुटि को दुरूस्त कराने का वैधानिक अधिकारी है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्वीकृत तथ्यो को साबित करने की आवश्यकता नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट का विधि अनुसार परीक्षण किये बिना ही केम्प कोटा किशनपुरा न्याय आपके द्वार अभियान मे आक्षेपित निर्णय पारित करने मे विधिक त्रुटि की है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। फलत अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.5.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय मे विवेचित उपर्युक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण करते हुये अपीलांट को सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर सेटलमेंट से पूर्व एंव सेटलमेंट के बाद के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल रकबा बरारी करते हुये दर्ज नजरी नक्शे का मिलान कर पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 6.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा